कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 4155 / 14–1 दिनांक : आगरा : मार्च, 21-3-2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग
आगरा।

विषय : जनपद आगरा में चंदौसी–आगरा–तांतपुर कोट मार्ग (एस.एच.–39) के किमी0 236 के चैनेज 235.030 ग्राम रैना नगर तहसील खेरागढ एवं किमी0 सं0–245 के चैनेज 244.010 ग्राम सरेंधी तहसील खेरागढ पर निर्माण खण्ड–2 लोक निर्माण विभाग आगरा द्वारा राज्य सडक निधि योजना के अन्तर्गत राज्य मार्ग सं0–39 की बांयी पटरी पर प्रस्तावित ट्रक ले बाई निर्माण कार्य हेतु 0.480 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 11.03.2022

उपरोक्त विषयक विषयगत प्रकरण के प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्न कमियाँ पायी गयी हैं।

1. प्रस्ताव के साथ संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव में बाधक वृक्षों का उल्लेख नहीं किया गया है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल के फोटोग्राफ संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की टोपोसीट संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का जियो रिफ्रेंश मैप संलग्न नहीं है।
6. प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न नहीं है।

अतः आप उपरोक्त कमियों का तत्काल निस्तारण कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(अखिलेश पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 4155 / दिनांकित

प्रतिलिपि क्षेत्रीय वन अधिकारी शहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप बिन्दु सं0–7 के सम्बन्ध में प्रभावित वनभूमि के दुगने वनभूमि में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण की परियोजना एवं क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल की जी.पी.एस. तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रयोक्ता द्वारा टोपोसीट एवं जियो रिफ्रेंश मैप तैयार कराकर इस कार्यालय को प्रेषित किया जा सके और प्रस्ताव में अनावश्यक बिलम्ब से बचा जा सके।

21/3/2022

(अखिलेश पाण्डेय)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

Com-3/Draftman/Letter-18/237